

**राजस्थान उच्च न्यायालय  
जोधपुर**

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 697/2025

डॉ. शंकर लाल बामणिया पुत्र श्री हरीश चंद्र, आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी 57, इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स-ए, हिरण मगरी, सेक्टर-14, उदयपुर (राज.), वर्तमान में सीएमएचओ, उदयपुर के पद पर कार्यरत।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, शासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रेड-2), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

---

याचिकाकर्ता के लिए : श्री हिम्मत जग्गा  
श्री यशपाल खिलेरी

प्रतिवादीगण के लिए : श्री मुकेश दवे, डीवाई.जी.सी.  
के साथ श्री तनुज जैन

---

**माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा  
आदेश (मौखिक)**

**13/01/2025**

1. याचिकाकर्ता ने यहाँ दिनांक 07.01.2025 (अनुलग्नक 13) के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है जिसके तहत उसका उदयपुर से प्रतापगढ़ स्थानांतरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, वह प्रतिवादीगण को यह निर्देश देने की मांग कर रहा है कि उसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएम एंड एचओ), उदयपुर के पद पर सभी परिणामी लाभों के साथ बने रहने की अनुमति दी जाए और प्रतिवादीगण को दिनांक 07.01.2025 (अनुलग्नक 13) के आक्षेपित स्थानांतरण आदेश के अनुसरण में उसे कार्यमुक्त करने से रोका जाए।

2. संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि याचिका में अभिवचित किए गए हैं यह है कि याचिकाकर्ता को 17.03.2005 को चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और वह पदोन्नत होते हुए 03.08.2022 को उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) बना। सीएमएचओ के रूप में उसका पद राजस्थान पंचायती राज (स्थानांतरित गतिविधियाँ) नियम, 2011 द्वारा शासित था, और बाद में, पंचायती राज विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। 15.03.2024 को याचिकाकर्ता को आरसीएचओ, उदयपुर के रूप में एक निचले पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन इस आदेश पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी और बाद में इसे वापस ले लिया गया था, जिससे उसे 03.08.2025 तक सीएमएचओ के रूप में बने रहने की अनुमति मिल गई थी। 07.01.2025 को उसका पुनः उप-नियंत्रक, जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ के पद पर स्थानांतरण कर दिया गया, एक ऐसा कदम जिसके बारे में याचिकाकर्ता का दावा है कि यह कदम अवैध,

राजनीति से प्रेरित और अपुष्ट शिकायतों पर आधारित है। अतः, वर्तमान याचिका।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा मामले की पत्रावली का अवलोकन किया है।

4. प्रतिवादीगण की ओर से दायर जवाब को देखने के बाद, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को इस आधार पर याचिका दायर करने के लिए गुमराह किया गया था कि उप नियंत्रक का पद सीएम एंड एचओ के पद से निम्न है, जिस पर वह वर्तमान में तैनात है और इस प्रकार, यह पदावनति के बराबर है।

5. हलफनामे की विषयवस्तु का अनुलग्नक-ए/1 के साथ अवलोकन करने पर पता चलता है कि उप-नियंत्रक, उप-निदेशक और सीएम एंड एचओ, सभी समकक्ष पद हैं। दूसरी ओर, हलफनामे की विषयवस्तु का खंडन करने के लिए कोई अतिरिक्त हलफनामा और/या प्रत्युत्तर दाखिल किए बिना, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि प्रतिवादीगण द्वारा एक झूठा हलफनामा दाखिल किया गया है और प्रतिवादीगण शपथ-भंग के लिए उत्तरदायी हैं।

6. जो भी हो, याचिकाकर्ता विधि के अनुसार कदम उठाते हुए हलफनामे के अभिसाक्षी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। जहाँ तक इस न्यायालय का संबंध है, हलफनामे में लिए गए इस विशिष्ट रुख के मद्देनजर कि उपरोक्त तीनों पद समान हैं, मुझे हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।

7. खारिज की जाती है।

8. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाएगावे भी निस्तारित समझे जाएंगे।

(अरुण मोंगा), जे

156-धनंजयएस/एसकेएम/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है:   हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



**Tarun Mehra**  
**Advocate**